संख्या-176/2025/389/41-1-2025 003-सी0एन0-1798780-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 06 मार्च 2025

विषयः- जनपद कुशीनगर के रामकोला में बेडानगी मंदिर परिसर में मेडीटेशन हाल एवं टायलेट ब्लाक का पर्यटन विकास अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं० 9480/6-1-1(611)/2023-24, दिनांक 03.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद कुशीनगर के रामकोला में बेडानगी मंदिर परिसर में मेडीटेशन हाल एवं टापलेट ब्लाक का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० (UPPCL) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश सं०-345/2024/940/41 1 2024-001 सी०एन० 1798780-2024, दिनांक 14.03.2024 द्वारा धनराशि रू0 124.96 लाख (जीएसटी सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की लागत रू0 122.60 लाख तथा उ०प्र० ललितकला अकादमी से कराये जाने वाले म्यूरल आर्ट कार्यों की लागत रू0 2.36 लाख) तथा प्रथम किश्त के रूप में रू०0.75 लाख एवं संख्या-633/2024/1486/41-1-2024-002-सी०एन० 1798780-2024, दिनांक 29.06.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 61.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 61.75 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर के रामकोला में चेडानयी मंदिर परिसर में मेडीटेशन हाल एवं टायलेट ब्लाक का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि में से तृतीय किश्त के रूप में रू0 35.11 लाख (रूपये पैतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग के शासनादेश दिनांक दिनांक 14.03.2024 एवं दिनांक 29.06.2024 में उल्लिखित शतों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शतों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराने जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिहित कराया जाता स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बावर शिषि की सूचक शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिहित किया जायेगा।

(5) प्रश्नपत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के साबन्ध में पह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जागेगा एवं निर्मित परिसम्पति का समुचित रख-रखाव सुनिह्नित किया आयेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) प्रश्नमत परियोजना में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आग व्यापक) अनुभाग । के शासनादेश संख्या 07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (MI) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(7) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवज्ञा, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति पुनरावृत्ति न हो ओर इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया हे तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्य पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत परियोजना की अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराते हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेगे।

(12) रोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परिकीर्टि एक के भीतर लक करायी जायेगी। परियोजना की कलोजर रिपोर्ट उपकराजाने की लिति की अनियमिता मानते हुए साचित परियोजना पर परिजन एकदा के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम शुकना रिपोर्ट (एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने कता अप रू0 35,11,000 (रूपने पैतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) को कालू, नितीन वर्ष 2024 25 के आप-व्ययक अनुदान संख्या-44 लेखा शीर्षक 5452801040800 शुसामारी पर्यटन स्थलों का निकाय मानक मद-24 गृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आप-व्यपक) अनुभाग 1 के कार्यालप शाप संख्या 1/2024/बी-1 294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
7. निदेशक, उ०प्र० ललितकला अकादमी, लखनऊ।
8.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 6, 7 एवं 8 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in